

सेवा में,

श्री संदीप कुमार सिंह,

विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका औरदिनांकित आर.टी.आई. आवेदन जो केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 20.11.2017 को दायर हुआ (डायरी सं. 178068) तथा दिनांक 21.11.2017 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ, के संदर्भ में यह अवगत कराया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है । अतः कृपया सूचना से संबंधित कार्यालय में आवेदन दाखिल कर सूचना प्राप्त करें ।

आपने राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालय/विभाग से संबंधित सूचना मांगी है । इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि राज्य सूचना आयोग या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग/कार्यालय/उपक्रम केन्द्रीय सूचना आयोग के न्यायाधिक/प्रशासनिक क्षेत्राधिकार से बाहर है इसलिए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों से संबंधित आर.टी.आई. आवेदनों पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत लोक प्रशासकों के खिलाफ द्वितीय अधीन अधिनियम है । यदि किसी लोक प्रशासक द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हो तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अधीन अधिनियम के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अधीन दाखिल किया जाना चाहिए । अगर प्रथम अधीन अधिनियम अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है या प्रथम अधीन अधिनियम अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हो तब केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत लोक प्रशासकों के संदर्भ में संबंधित राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अधीन दाखिल कर सकते हैं । द्वितीय अधीन प्रपत्र के साथ लोक प्रशासक से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वाभिप्राय) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिसमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना की गई सूचना प्रदान की गई हो, प्रथम अधीन आवेदन, प्रथम अधीन अधिनियम अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), परचाल पत्र की प्रतिलिपि के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अधीन एवं द्वितीय अधीन दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है ।

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग को संबंधित प्रपत्र के माध्यम से स्पष्ट कारण बताते हुए शिकायत दर्ज की जा सकती है । शिकायत पत्र के साथ भी लोक प्रशासक से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अधीन श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अधीन अधिनियम अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगाराम आर्वा, मुजिरका, नई दिल्ली - 110067 पर की जा सकती है ।

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई. सेल,

